न्यूज़ टुडे

व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर 'भारत–वियतनाम संयुक्त आयोग' की 17वीं बैठक संपन्न हुई

- **प्रमुख परिणामः**
  - दोनों देशों ने भारत की **हिंद–प्रशांत महासागरीय पहल (Indo-Pacific Oceans Initiative: IPOI)** और **हिंद–प्रशांत पर आसियान आउटलुक (ASEAN's Outlook on Indo-Pacific)** के अनुरूप अपने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है।
    - **भारत द्वारा वर्ष 2019 में IPOI का शुभारंभ किया गया था।** इसके प्रमुख आधार स्तंभों में निम्नलिखित शामिल हैं: समुद्री सुरक्षा में वृद्धि करना; मुक्त, निष्पक्ष और पारस्परिक रूप से लाभप्रद व्यापार व समुद्री परिवहन को प्रोत्साहित करना; तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना।
    - **हिंद–प्रशांत पर आसियान आउटलुक** वस्तुतः इंडो–पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने हेतु अंतर्निहित सिद्धांत के रूप में आसियान के केंद्रीय दृष्टिकोण को व्यक्त करता है।
  - दोनों देशों ने **असैन्य परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, समुद्री विज्ञान और नवीन प्रौद्योगिकी जैसे उभरते क्षेत्रों में निकट सहयोग को बढ़ाने की संभावना तलाशने** पर भी सहमति व्यक्त की है।
  - भारत ने **वियतनाम** को त्वरित प्रभाव परियोजनाओं (Quick Impact Projects: QIPs), पी.एच.डी. फ़ेलोशिप, वियतनाम के मेकांग डेल्टा क्षेत्र में जल संसाधन प्रबंधन परियोजना आदि जैसी पहलों के माध्यम से **विकास और क्षमता निर्माण के क्षेत्र में सहायता देने की प्रतिबद्धता को दोहराया है।**
  - दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सहित विविध **बहुपक्षीय मंचों पर निकट समन्वय स्थापित करने के लिए सहमति व्यक्त की है।**

- विगत कुछ वर्षों में, वियतनाम ने प्रायः दक्षिण चीन सागर में उसके अनन्य आर्थिक क्षेत्र (exclusive economic zone) के भीतर **चीन की बढ़ती गतिविधियों के विरुद्ध समर्थन प्राप्त करने हेतु भारत के साथ संबंधों को सुदृढ़ करने का प्रयास किया है।**
  - भारत उन तीन देशों में से एक है, जिनके साथ वियतनाम ने व्यापक **रणनीतिक साझेदारी (comprehensive strategic partnership)** पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अतिरिक्त, ओ.एन.जी.सी. विदेश लिमिटेड (ONGC Videsh) दक्षिण चीन सागर में ऊर्जा उत्पादन में संलग्न है।

किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) द्वारा पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए न्यूनतम वैकल्पिक कर (Minimum Alternate Tax: MAT) में छूट की मांग की जा रही है

- किसानों हेतु बेहतर कृषि मूल्य सुनिश्चित करते हुए, FPOs को निजी क्षेत्र के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक समान अवसर उपलब्ध करवाने हेतु **वर्ष 2018 के बजट में उन्हें पांच वर्ष का करावकाश (tax holiday) प्रदान किया गया था।**
  - FPO एक प्रकार का **उत्पादक संगठन (Producer Organisation: PO)** है, जिसके सदस्य किसान होते हैं।
  - **उत्पादक संगठन वस्तुतः एक विधिक निकाय होता है, जिसका गठन प्राथमिक उत्पादकों** अर्थात् किसानों, दुग्ध उत्पादकों, मछुआरों, बुनकरों, ग्रामीण दस्तकारों और शिल्पकारों द्वारा किया जाता है।
- परन्तु, कानून के अनुसार उन्हें MAT का भुगतान करना पड़ता है। इस प्रकार, MAT के भुगतान के पश्चात् **FPOs को प्राप्त होने वाले लाभ कम हो जाते हैं।**
  - MAT को विशेष रूप से **'शून्य–कर भुगतान करने वाली कंपनियों' (zero-tax paying companies) को आयकर के दायरे में लाने के लिए** प्रत्यक्ष कर क़ानूनों के तहत अधिरोपित किया गया है।
  - इसका उद्देश्य ऐसी कंपनियों से न्यूनतम कर एकत्र करना है, जो आयकर अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत छूट या कटौती का दावा करती हैं और सरकार के लिए कुछ राजस्व उत्पन्न करती हैं।
- **FPOs के लाभः** ये संगठन उत्पादकों हेतु बेहतर आय सुनिश्चित करते हैं, ये विभिन्न कार्यक्रमों के अभिसरण (convergence) के लिए सरकारी विभागों के साथ संपर्क स्थापित करने में सक्षम होते हैं, ये किसानों के लिए बेहतर सौदेबाजी की क्षमता विकसित करने में सहायक होते हैं, ये संगठन सरकारी सेवाओं तक उत्पादकों की बेहतर पहुंच सुनिश्चित करते हैं आदि।
- हाल ही में, सरकार ने 10,000 नए FPOs के गठन और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए **किसान उत्पादक संगठनों का गठन और संवर्धन** नामक केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना को स्वीकृति प्रदान की है।

सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) के अनुसार भारत अपने निर्माण और विध्वंस (Construction and Demolition: C&D) अपशिष्ट के केवल 1 प्रतिशत का पुनर्चक्रण करता है

- विभिन्न आंकड़ों के अनुसार, **भारत में प्रति वर्ष लगभग 150 मिलियन टन** C&D अपशिष्ट का उत्पादन होता है।
  - परन्तु, भारत में **बहुत कम मात्रा में इन अपशिष्टों का पुनर्चक्रण** हो पाता है। दूसरे शब्दों में, भारत की आधिकारिक **पुनर्चक्रण क्षमता (recycling capacity)** बहुत कम है और यह प्रति दिन 6,500 टन (मात्र 1 प्रतिशत) के बराबर है।
  - इसके अतिरिक्त, **कुल अपशिष्ट उत्पादन का अनौपचारिक अनुमान,** आधिकारिक अनुमान की तुलना में तीन से पांच गुना अधिक है।
  - **C&D अपशिष्ट का आशय** कंक्रीट, ईंट, पेंटेड वुड (रंजित काष्ठ) आदि निर्माण और विध्वंस परियोजनाओं द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट से है।
- **चिंताएंः**
  - मलबे से उत्पन्न **विषाक्त धूल कण शहरों में वायु को प्रदूषित** करते हैं।
  - निर्माण कार्यों से उत्पन्न कंक्रीट, ईंट और धातु अपशिष्ट शहरों में **जल निकायों, हरित क्षेत्रों और सार्वजनिक स्थलों को अवरुद्ध** करते हैं।
- **उठाए गए कदमः**
  - **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016** द्वारा **पुनर्चक्रित सामग्री (recycled material)** का पुनरुपयोग अनिवार्य किया गया है।
  - स्वच्छ भारत मिशन के तहत **स्वच्छ सर्वेक्षण 2021** के लिए **C&D अपशिष्ट प्रबंधन हेतु भारांश को दोगुना करके 100 अंक** कर दिया गया है।
  - भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा **पुनर्चक्रित सामग्री और संसाधित C&D अपशिष्ट** से निर्मित कंक्रीट के उपयोग की अनुमति प्रदान की गई है।
- **सुझावः**
  - खनिज, रेत, लोहा आदि प्राथमिक निर्माण सामग्री की मांग के अनुरूप **C&D अपशिष्ट को एक संसाधन में परिवर्तित करने पर आधारित चक्रीय अर्थव्यवस्था** को बढ़ाने की आवश्यकता है।
  - **C&D अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016** का उचित कार्यान्वयन किया जाना चाहिए।

केंद्र सरकार सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को एक एकल संहिता के तहत लाने की योजना बना रही है

- केंद्र सरकार, वृद्धावस्था पेंशन और बीमा सहित कम से कम छह सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को प्रस्तावित **सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2019 {Code on Social Security (CSS), 2019}** के दायरे के अंतर्गत लाने की योजना बना रही है।
  - **सामाजिक सुरक्षा** का आशय स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच सुनिश्चित करने और श्रमिकों हेतु आय सुरक्षा का प्रावधान करने से है।
- वर्ष 2019 में लोक सभा में पुरःस्थापित सामाजिक सुरक्षा संहिता विधेयक, सामाजिक सुरक्षा से संबंधित नौ क़ानूनों को प्रतिस्थापित करेगा। इनमें **कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952; मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961; असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008** आदि शामिल हैं।
  - **सभी मौजूदा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं** को एक अधिसूचना के माध्यम से इस संहिता के तहत लाने का प्रावधान किया गया है।
- **सामाजिक सुरक्षा में निहित मुद्देः**
  - सामाजिक सुरक्षा के मौजूदा प्रावधान सार्वभौम नहीं हैं और साथ ही ये प्रावधान विखंडित अवस्था में हैं।
  - वर्तमान में विभिन्न योजनाओं का प्रबंधन भिन्न–भिन्न मंत्रालयों द्वारा किया जा रहा है जिससे **अतिव्यापन (overlap) की समस्या** उत्पन्न होती है।
  - कई अभिकरणों, मंत्रालयों एवं प्राधिकरणों के हस्तक्षेप के कारण **कंपनियों की अनुपालन लागत बढ़** जाती है।
  - सेवा प्रदायगी और कार्यान्वयन के संदर्भ में निम्नस्तरीय प्रशासनिक संरचना तथा क्षमता का अभाव।
- **इस कदम के अपेक्षित लाभः**
  - इसके माध्यम से जनसंख्या के निचले 20 प्रतिशत से अधिक हिस्से को समाविष्ट किया जा सकेगा।
  - **एकल संहिता होने से इसका प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित होगा और दोहराव से बचा जा सकेगा।**
  - इससे कंपनियों के लिए **अनुपालन लागत में कमी** आएगी और **व्यवसाय करने में सुगमता** सुनिश्चित होगी।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने वर्ष 2019–20 के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की

इस रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष:

- **सरकारी उपभोग वर्तमान आर्थिक मांग को प्रोत्साहित करता रहेगा,** जबकि कोविड–19 के प्रकोप के पश्चात् स्थिति सामान्य होने पर निजी उपभोग से आर्थिक रिकवरी को बल मिलेगा।
- चालू राजकोषीय वर्ष में **GDP (सकल घरेलू उत्पाद) संवृद्धि दर के नकारात्मक रहने** का अनुमान है।
- **निगम कर (corporate tax) की दर में तीव्र कटौती** के बावजूद अपेक्षा के अनुरूप निवेश चक्र को पुनर्प्रारंभ करने में सहायता नहीं मिली है। हालांकि, कंपनियों ने अपने कर्ज को कम करने और नकदी संतुलन स्थापित करने के लिए इसका प्रयोग किया है।
- वर्ष 2019–20 के दौरान बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा दर्ज कराए गए धोखाधड़ी के कुल मामलों (1 लाख रूपये और उससे अधिक के) में **वॉल्यूम (मात्रा) के संदर्भ में 28 प्रतिशत और वैल्यू (मूल्य) के संबंध में 159 प्रतिशत** की वृद्धि हुई है।
- वर्ष 2018–19 की तुलना में वर्ष 2019–20 में पता लगाए गए **जाली मुद्रा नोटों की संख्या** में गिरावट आई है।

RBI'S REFORM PROPOSALS

- **Monetise assets** in steel, coal, power, land, railways
- **Privatise major** ports
- **Set up** GST Council-like authorities to drive structural reforms in land, labour and power
- **Speed up** implementation of national infrastructure pipeline
- **Encourage States** to publicise availability of litigation-free land
- **Incentivise production** of solar panels
- **Connect dispersed** transmission links with remote areas
- **Encourage FDI** in railways
- **Form policy** for building reserves of strategic raw materials

सुझाव

- RBI ने **बैंक वित्त (bank finance) का विकल्प खोजने की आवश्यकता** को रेखांकित किया है।
  - इसने पूंजी बाजार और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देने का सुझाव दिया है। ये दोनों साधन अपेक्षाकृत दीर्घ अवधि वाले निवेश और निवेशकों को आकर्षित करते हैं। इससे स्थायी पूंजी निवेश के साथ–साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को भी बढ़ावा मिलता है।
- इसके अन्य सुझावों में सम्मिलित हैं– **कॉर्पोरेट बॉण्ड बाजार को बढ़ावा देना,** दबावग्रस्त परिसंपत्तियों की समस्या के समाधान के लिए बाजार आधारित उपायों में वृद्धि हेतु प्रतिभूतिकरण (securitisation) की सुविधा उपलब्ध कराना, तथा उचित मूल्य निर्धारण और उपभोक्ता–प्रभार (user charges) की वसूली की नीति को प्राथमिकता देना।

अन्य सुर्खियाँ

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) नियमों में संशोधन को अधिसूचित किया है **{Ministry of corporate affairs (MCA) has notified amendments in Corporate Social Responsibility (CSR) rules}**	○ नवीन संशोधनों के माध्यम से कंपनियों को नए **टीके, दवाओं और चिकित्सा उपकरणों से संबंधित अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों में अपनी CSR निधियों** को व्यय करने की अनुमति प्रदान की गयी है। यह सुविधा वर्ष 2020–21 से लेकर अगले तीन वित्तीय वर्षों के लिए उपलब्ध होगी। ➢ यह कोविड–19 के विरुद्ध प्रभावी दवाओं और टीकों की खोज में भारत के प्रयासों को बढ़ावा देगा। ○ **कंपनी अधिनियम, 2013** के अंतर्गत CSR का प्रावधान किया गया है। इसमें यह प्रावधान है कि किसी वित्तीय वर्ष के दौरान 500 करोड़ रुपये अथवा उससे अधिक के नेट वर्थ (निवल मूल्य); या 1,000 करोड़ रुपये अथवा उससे अधिक के टर्नओवर (कारोबार); या 5 करोड़ रुपये अथवा उससे अधिक के नेट प्रॉफिट (निवल लाभ) वाली कंपनियों के लिए **विगत तीन वित्तीय वर्षों के उनके औसत निवल लाभ का कम से कम 2% CSR गतिविधियों पर व्यय करना अनिवार्य** होगा।
चीन व पाकिस्तान के केवल पंजीकृत संस्थाओं को ही बोली लगाने की अनुमति प्रदान की गई है (Only registered entities from China, Pakistan allowed to bid)	○ भारत ने इन देशों के **संभावित बोलीदाताओं (bidders) हेतु** पंजीकरण के लिए **एक प्रारूप अधिसूचित किया है।** ○ **इन देशों के 10 प्रतिशत तक के लाभकारी स्वामित्व** वाले बोलीदाता **भारत में सार्वजनिक खरीद** में बोली लगाने के लिए पात्र होंगे, बशर्ते वे **उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (Department for Promotion of Industry and Internal Trade: DPIIT)** में पंजीकृत हों। ○ उन्हें **"सुरक्षा मंजूरी"** (security clearance) के लिए आवेदन भी प्रस्तुत करना होगा।
संयुक्त राष्ट्र के अनुसार कोरोनो वायरस के कारण वैश्विक पर्यटन उद्योग को विगत 5 माह में 320 बिलियन डॉलर की क्षति हुई है (Covid-19 costs global tourism $320B in five months: UN)	○ **प्रमुख निष्कर्ष:** ➢ इस अवधि के दौरान अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन में 300 मिलियन अर्थात् 56 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। ➢ राजस्व में गिरावट ने **संरक्षित क्षेत्रों में और उसके आस–पास अवैध शिकार एवं पर्यावास क्षति को बढ़ावा दिया है।** ➢ यदि रिकवरी को जलवायु लक्ष्यों के साथ संरेखित नहीं किया जाता है, तो **परिवहन से संबंधित ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन** में तीव्र वृद्धि हो सकती है। ○ **सुझाव:** ➢ विशेष रूप से महिलाओं के लिए रोज़गार और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए इस संकट के सामाजिक–आर्थिक प्रभावों को कम करना। ➢ पर्यटन से जुड़े सभी क्षेत्रों में लोचशीलता को बढ़ावा देना।
नदी डॉल्फ़िन (River Dolphins)	○ दक्षिण एवं दक्षिण–पूर्व एशिया में नदी डॉल्फिन के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए **भारत, बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार** के विशेषज्ञ एकजुट हुए हैं। ○ नदी डॉल्फ़िन **मुख्य रूप से एशिया और दक्षिण अमेरिका की नदियों में पाई जाने वाली** एक विशिष्ट मत्स्य प्रजाति है, जो वर्तमान में विलुप्ति की कगार पर है। ○ गंगा नदी डॉल्फिन, एक नदी डॉल्फिन है। **यह भारत का एक राष्ट्रीय जलीय जीव (national aquatic animal of India) है।** ○ गंगा नदी डॉल्फिन की IUCN स्थिति: **इंडेंजर्ड (EN)** ○ हाल ही में, **प्रधान मंत्री** द्वारा डॉल्फिन की आबादी बढ़ाने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने हेतु **प्रोजेक्ट डॉल्फिन** (Project Dolphin) की घोषणा की गई है।
स्पुतनिक वी (Sputnik V)	○ यह **कोविड–19 की प्रथम वैक्सीन** है। इसे **रूस** द्वारा विकसित किया गया है। ○ हाल ही में, केंद्र सरकार ने वक्तव्य जारी किया है कि **भारत स्पुतनिक वी को खरीदने के लिए रूस से वार्ता कर रहा है।** ○ **हालांकि, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने अभी तक इस वैक्सीन को स्वीकृति प्रदान नहीं की है** तथा अभी भी इसे एक कैंडिडेट (निर्माणाधीन) वैक्सीन के रूप में ही स्वीकार किया है, न कि एक पूर्ण विकसित 'वैक्सीन' के रूप में।
वारली चित्रकला (Warli Paintings)	○ यह महाराष्ट्र की **वारली जनजाति की दैनिक और सामाजिक घटनाओं को व्यक्त करती है।** यह चित्रकला **पौराणिक पात्रों या देवताओं की छवियों को चित्रित करने की बजाय** सामाजिक जीवन को चित्रित करती है। ○ इस चित्रकला में दैनिक जीवन के दृश्यों के साथ–साथ मनुष्य और जानवरों के चित्र भी बनाए जाते हैं जो बिना किसी योजना के, सरल शैली में चित्रित किए जाते हैं। ➢ इसके तहत बनाए गए चित्र **आखेट, नृत्य, बुवाई और कटाई** जैसी गतिविधियों में संलग्न मानव आकृतियों के दृश्यों को प्रदर्शित करते हैं। ➢ **कई बिंदुओं और छोटी–छोटी रेखाओं (डेश) को मिलाकर एक बड़ी रेखा बनाई जाती है।** ○ इन चित्रों का निर्माण **मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा** किया जाता है।
नर्मदाशंकर दवे ('नर्मद') (24 अगस्त 1833–1886)	○ प्रधान मंत्री ने नर्मदाशंकर दवे को उनकी 187वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। ○ वे एक **गुजराती कवि, नाटककार और समाज सुधारक थे।** ○ उन्हें **आधुनिक गुजराती साहित्य का संस्थापक** माना जाता है। ○ **डांडियो** (Dandio) उनकी एक प्रमुख कृति (पत्रिका) है।

8468022022, 9019066066
www.visionias.in
दिल्ली लखनऊ जयपुर हैदराबाद पुणे अहमदाबाद चंडीगढ़
/c/VisionIASdelhi /Vision_IAS /visionias_upsc /VisionIAS_UPSC